वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 82/2025 *दिनांक- 03.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-03.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना मुबारकपुरः सर्राफा की दुकान पर बुरका पहन कर चोरी करने वाली अभ्यस्त 02 महिला 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार, कब्जे से 02 पायल बरामद, पूर्व में भी कई अभियोगों में जा चुकी हैं जेल

पूर्व की घटना–

दिनांक 02.03.2025 को इन्द्रजीत सोनकर पुत्र प्यारेलाल सोनकर निवासी मोहल्ला पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ की दुकान बन्दना ज्वेलर्स जो कि रोडवेज के पास है। दुकान पर दो महिलाएँ क्रमशः अंजली पुत्री बाबूलाल निवासिनी पनियरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ व दूसरी महिला रीना पत्नी हरिकेश निवासिनी गुजरपार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ बुरका पहन कर आई और पायल देखने लगी। ग्राहकों की व्यस्तता के बीच मौका पाकर दोनो महिलाए दुकान से दो जोड़ी पायल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 92/2024 धारा 305 BNS पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 मुरारी मिश्र द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 03.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार के निर्देशन में प्रभारी चौकी कस्बा मुबारकपुर उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र मे मामुर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर बन्दना ज्वेलर्स की दुकान पर हुए चोरी की घटना कारित करने वाली महिला रीना पत्नी हरिकेश निवासिनी गुजरपार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ एवं उसकी साथी अंजली पुत्री बाबूलाल निवासिनी पनियरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को इस्लामपुरा जामियाबाद थाना मुबारकपुर से समय करीब 08.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। नियमानुसार किशोरी को अभिरक्षा में लिया गया। जिनके कब्जे से दो जोड़ी सफेद धातु की पायल की बरामदगी की गयी।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 92/2025 धारा 305/317(2) BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 169/2023 धारा 380/411 भादवि थाना गोला जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 260/2024 धारा 305/317(2) BNS थाना कोपा जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 129/2024 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

02.थाना – अहरौला: अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनाँक 02.03.2025 को व0उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र शर्मा मय उ0नि0 विश्राम गुप्ता हे0का0 जयप्रकाश यादव का0 सौरभ राय का0 परीक्षित दुबे थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर प्रा0वि0 ग्राम हासापुरगढा के सामने सड़क के किनारे से अभियुक्त राहुल मिश्रा पुत्र वेदप्रकाश मिश्रा निवासी ग्राम अजोरपुर बन्दीपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 28 वर्ष को समय करीब 20.35 बजे एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/25 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री विजयी थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल उपरोक्त को नियमानुसार रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष रवाना किया गया।

आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 125/23 धारा- 307, 323, 325, 504, 506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
2. मु0अ0सं0 191/22 धारा- 308, 323, 504, 506 भादवि थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
3. मु0अ0सं0 208/23 धारा 323, 386 भादवि थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
4. मु0अ0सं0 90/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

03.थाना गम्भीरपुर: अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 03.03.2025 को उ0नि0 श्री विजय कुमार शुक्ल मय हमराह उ0नि0 रामधनी, का0 मिथलेश कुमार यादव का0 अमित कुमार सरोज द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिरी सूचना पर अभियुक्त सेराज पुत्र मोहम्मद मुस्लीम निवासी रंजीत पट्टी मोहम्मदपुर बजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को एक तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ मुजफ्फरपुर इस्माइलगंज मोड़ के पास से समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर पर मु0अ0सं0 66/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04. थाना-बरदह: मैजिक वाहन पर लदे 02 प्रतिबंधित पशु के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

दिनांक 02.03.25 को उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह उ0नि0 मनीष सिंह व का0 राजेन्द्र कुशवाहा ठेकमा बाजार में मामूर थे कि सूचना मिली की गम्भीरपुर क्षेत्र से होकर एक मैजिक गाड़ी में दो प्रतिबन्धित पशुओ को लाद कर तस्करी हेतु दो व्यक्ति ला रहे है। जिसे लेकर सरायमीर की तरफ जाने वाले है। उक्त सूचना पर उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह ग्राम बौवापर गेट के पास पहुंचे व मैजिक गाड़ी का इन्ताज करने लगे। कुछ समय पश्चात एक मैजिक गाड़ी गम्भीरपुर की तरफ से आती दिखायी दी जिसको रुकने का इशारा करते हुए घेर कर रोक लिया गया। आगे बायी तरफ सीट पर बैठा व्यक्ति गाड़ी से कूद कर भागने में सफल रहा तथा दाहिने चालक के सीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उक्त पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सचिन गिरी पुत्र अशोक गिरी ग्राम दुर्वासा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बताया तथा उसने भागने वाले व्यक्ति का नाम रिजवान थाना सरायमीर बताया। मैजिक गाड़ी में पीछे 02 प्रतिबन्धित पशु क्रुरता पूर्वक लादे हुए मिले। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 60/2025 धारा 3/5ए/8 गो0 निवा0अधि0 व 11 पशु क्रु0 अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया गया।